उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 65/2011

ओम प्रकाश शर्मा वगै0 ....वादीगण।
बनाम्
पुलिस यादव वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

08.12.2025 उभय पक्ष की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता वादीगण के तरफ से दिनांक 26.06.2024 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(02) वो आदेश 22 नियम 04 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि वादी ने यह वाद के प्रतिवादी सं0 02 गोरख यादव की मृत्यु दिनांक 29.12.2023 को हो चुकी है। जिसका प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 23.02.2024 को दाखिल किया गया है। इनकी लडकीयों का नाम का जानकारी नहीं होने के कारण प्रतिस्थापन आवेदन में नाम नहीं दिया गया है। जिनका नाम लीलावती देवी, बिन्दु देवी इस आवेदन के माध्यम से दिया जा रहा है और प्रतिवादी सं0 01 पुलिस यादव की मृत्यु दिनांक 30.04.2024 को हो चुकी है और इनके वारीसानों का नाम संतोष यादव, मंतोष यादव, चुनमुन यादव, बाचा यादव, दुर्गा कुमारी, रूशन देवी, छोटी देवी नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय। वादी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षांत करने हेतू दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दिनांक 23.02.2024 को प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया है। इसका अनुपूरक दिनांक 26.06.2024 को शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी सं0 01 के प्रतिस्थापन का जिक्र किया गया है जो समय सीमा के अंतर्गत है। अतः दिनांक 23.02.2024 के आवेदन में हुए बिलम्ब को मो0 500/– पॉच सौ रूपये के साथ क्षांत किया जाता है। अतः दिनांक 26.06.2024 को दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 23.02.2024 का अनुपूरक मानते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

लागातर

08.12.2025

मृत प्रतिवादी सं0 02 गोरख यादव का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा उनके कानूनी वारीसान मु0 फुलवा देवी, शेखर यादव, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, मिथिलेश यादव, लीलावती देवी, बिन्दु देवी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 01 पुलिस यादव का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है और उनके कानूनी वारीसानों संतोष यादव, मंतोष यादव, चुनमुन यादव, बाचा यादव, दुर्गा कुमारी, रूशन देवी, छोटी देवी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है। वादी नए प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतू आवश्यक अपेक्षिकाएं दाखिल करें। तत्पश्चात कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–02.02.2026 वास्ते अपेक्षिकांए दाखिल एवं साक्ष्य हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)